

## Green Infrastructure and Electric Vehicles



The PM E-Drive Scheme is promising a significant boost to electric vehicle charging infrastructure in Rajasthan. Rajasthan Renewable Energy Corporation has been granted an amount of ₹81.12 crore by the Government of India to establish public electric vehicle charging stations in the state. The scheme will see the setting up of 591 charging stations at 262 sites. This move will boost EV infrastructure, encourage sustainable transportation, and support the growth of electric vehicles in Rajasthan. The content here is organized as per content format uploaded.

### Key Highlights of the PM E-Drive Scheme in Rajasthan

- Central Government has given approval to set up EV charging stations in Rajasthan worth ₹81.12 crore.
- A total of 591 EV charging stations will be set up across 262 locations in the state.
- Jaipur will get 112 charging stations.
- Ajmer will get 49 charging stations.
- 39 will be installed in Udaipur.
- Kota will get 28 charging stations.
- 34 charging stations will come up on national and state highways.
- The stations will be set up on land made available by different government departments.
- Rajasthan Renewable Energy Corporation will ensure effective implementation of the project.

## Objectives and Benefits

### Objectives

- To increase public charging infrastructure for electric vehicles in Rajasthan.
- To promote the uptake of electric vehicles on roads and highways.
- To promote renewable energy and sustainable transportation.
- To build robust clean mobility ecosystem in the state.

### Benefits

- EV owners will have better access to charging infrastructure in urban areas and travel routes.
- Highway charging points will make inter-city travel in EVs more convenient.
- The scheme will support the reduction in carbon emissions and pollution.
- It will encourage the use of clean and green energy.
- This initiative will contribute to the aim of a robust EV ecosystem in India.

### Significance for Rajasthan

Chief Minister Bhajanlal Sharma has been working hard for the promotion of green energy in Rajasthan. The nod to this proposal under the PM E-Drive Scheme is a significant milestone in the green transport journey of the state. The state will become more EV-friendly with enhanced charging infrastructure, contributing to a better environment and a cleaner city.

### Conclusion

The PM E-Drive Scheme approval of ₹81.12 crore is a significant milestone for Rajasthan. The expansion of charging infrastructure in cities and on highways will encourage green travel, minimise pollution and position the state as part of India's electric vehicle ecosystem.

---

### MCQs

1. How many EV charging stations will be set up under the approved PM E-Drive Scheme in Rajasthan?

- (a) 262
- (b) 591
- (c) 112
- (d) 81

Answer: (b)

Explanation : The Government of India has approved setting up 591 electric vehicle (EV) charging stations in Rajasthan under the PM E-Drive Scheme. These will be deployed at 262 locations to improve public charging facilities and encourage the use of electric vehicles in the state.

2. Which city in Rajasthan has been allotted the most number of EV charging stations?

- (a) Ajmer
- (b) Udaipur
- (c) Jaipur
- (d) Kota

Answer: (c)

Explanation : Jaipur has been allocated the highest number of stations (112) under the scheme. This exceeds the allocation of Ajmer, Udaipur and Kota, reflecting the significance of Jaipur as a large city in Rajasthan's EV charging network development.

3. Which is one of the aims of the PM E-Drive Scheme, according to the news reports?

- (a) To increase fossil fuel vehicle production
- (b) To discourage the use of public transport
- (c) To promote electric vehicle skills and build charging infrastructure
- (d) To privatize state highways

Answer : (c)

Explanation : The PM E-Drive Scheme will accelerate electric vehicle uptake, create charging infrastructure and promote a robust electric vehicle manufacturing industry. This is a crucial step towards renewable energy and green transport.

---

## हरित अवसंरचना और विद्युत वाहन

पीएम ई-ड्राइव योजना राजस्थान में विद्युत वाहन चार्जिंग अवसंरचना को बड़ा प्रोत्साहन देने जा रही है। भारत सरकार ने राज्य में सार्वजनिक विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को ₹81.12 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के तहत राज्य के 262 स्थलों पर 591 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। यह कदम ईवी अवसंरचना को

मजबूत करेगा, सतत परिवहन को बढ़ावा देगा और राजस्थान में विद्युत वाहनों के प्रसार को समर्थन देगा।

## राजस्थान में पीएम ई-ड्राइव योजना की प्रमुख विशेषताएँ

- केंद्र सरकार ने राजस्थान में ₹81.12 करोड़ की लागत से ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को मंजूरी दी है।
- राज्य के 262 स्थानों पर कुल 591 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
- जयपुर में 112 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
- अजमेर में 49 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
- उदयपुर में 39 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
- कोटा में 28 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
- 34 चार्जिंग स्टेशन राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर स्थापित किए जाएंगे।
- ये स्टेशन विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर स्थापित किए जाएंगे।
- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम इस परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा।

## उद्देश्य और लाभ

### उद्देश्य

- राजस्थान में विद्युत वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना का विस्तार करना।
- सड़कों और राजमार्गों पर विद्युत वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना।
- नवीकरणीय ऊर्जा और सतत परिवहन को प्रोत्साहित करना।
- राज्य में स्वच्छ गतिशीलता का मजबूत पारितंत्र विकसित करना।

### लाभ

- ईवी उपयोगकर्ताओं को शहरी क्षेत्रों और यात्रा मार्गों पर बेहतर चार्जिंग सुविधाएँ उपलब्ध होंगी।
- राजमार्गों पर चार्जिंग केंद्र स्थापित होने से शहरों के बीच ईवी यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी।
- यह योजना कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण में कमी लाने में सहायक होगी।
- इससे स्वच्छ और हरित ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।
- यह पहल भारत में मजबूत ईवी पारितंत्र के निर्माण के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी।

## राजस्थान के लिए महत्त्व

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत इस प्रस्ताव को मिली मंजूरी राज्य की हरित परिवहन यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सशक्त चार्जिंग अवसंरचना के माध्यम से राजस्थान अधिक ईवी-अनुकूल राज्य बनेगा तथा बेहतर पर्यावरण और स्वच्छ शहरी जीवन में योगदान देगा।

## निष्कर्ष

पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत ₹81.12 करोड़ की स्वीकृति राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। शहरों और राजमार्गों पर चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार से हरित परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा, प्रदूषण कम होगा और राज्य भारत के विद्युत वाहन पारितंत्र में अपनी सशक्त भूमिका स्थापित करेगा।

## बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राजस्थान में स्वीकृत पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत कितने ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे?

- (a) 262
- (b) 591
- (c) 112
- (d) 81

उत्तर: (b)

**व्याख्या:** भारत सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत राजस्थान में 591 विद्युत वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की स्वीकृति दी है। ये स्टेशन 262 स्थानों पर लगाए जाएंगे, जिससे सार्वजनिक चार्जिंग सुविधाएँ बेहतर होंगी और राज्य में विद्युत वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।

2. राजस्थान के किस शहर को सर्वाधिक संख्या में ईवी चार्जिंग स्टेशन आवंटित किए गए हैं?

- (a) अजमेर
- (b) उदयपुर
- (c) जयपुर
- (d) कोटा

उत्तर: (c)

**व्याख्या:** इस योजना के अंतर्गत जयपुर को सर्वाधिक 112 चार्जिंग स्टेशन आवंटित किए गए हैं। यह संख्या अजमेर, उदयपुर और कोटा की तुलना में अधिक है। इससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान के ईवी चार्जिंग नेटवर्क के विकास में जयपुर को प्रमुख शहरी केंद्र के रूप में विशेष महत्त्व दिया गया है।

3. समाचार के अनुसार पीएम ई-ड्राइव योजना का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है?

- (a) जीवाश्म ईंधन चालित वाहनों के उत्पादन में वृद्धि करना
- (b) सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को हतोत्साहित करना
- (c) विद्युत वाहनों को बढ़ावा देना और चार्जिंग अवसंरचना विकसित करना
- (d) राज्य राजमार्गों का निजीकरण करना

उत्तर: (c)

**व्याख्या:** पीएम ई-ड्राइव योजना का उद्देश्य विद्युत वाहनों के उपयोग को तेज़ी से बढ़ाना, आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना विकसित करना और देश में मजबूत ईवी विनिर्माण पारितंत्र को प्रोत्साहित करना है। यह नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और हरित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

## Youth Development and Sports



The "Panch Gaurav - One District, One Sport" scheme organised a Kabaddi training camp at Chougan Stadium in Jaipur. District Collector Dr. Jitendra Kumar Soni was in charge of the camp. Players who put in a good performance were rewarded with tracksuits and shoes. It was also noted during the event that Chougan Stadium has given birth to some national and international players in Kabaddi. The camp is part of the state government's attempt to nurture local talents and equip young players.

### Highlights of Kabaddi Training Camp

- The Kabaddi training camp was held in the city of Jaipur at Chougan Stadium.
- It took place as part of the "Panch Gaurav - One District, One Sport" scheme.
- It was held under the supervision of District Collector Dr. Jitendra Kumar Soni.
- The training camp was held from 22 March to 31 March 2026.
- Accommodation, food and training were provided to the participants.
- 22 boys and 22 girls were selected for the camp.
- Coach Mr. Phoolchand Gurjar male coach.
- The girls were trained by female coach Mrs. Asha Chaudhary.

- Sports shoes and tracksuits as incentive to good players.

## Objectives and Benefits

### Objectives

- To make Kabaddi the model sport of the district level sports development program.
- To promote sports talent from the community.
- To generate facilities and training for players.
- To provide more opportunities to players at district level.

### Benefits

- The camp assisted players to develop Kabaddi skills.
- It offered facilities like food and lodging for the training sessions.
- The awards provided to the best players motivated them.
- The scheme improved the sports culture for boys and girls.
- It motivated young players to aspire for greater sports excellence.

## Panch Gaurav Scheme is important

The District Sports Officer of Jaipur, Mr. Man Singh Nirwan, said that the government has initiated "Panch Gaurav - One District, One Sport". It seeks to encourage a particular sport in each district, nurture talent and give players a fair chance. The successful holding of the Kabaddi camp at Chougan Stadium is a good example of how the schemes can assist in boosting self-esteem and in providing a better future for junior players.

## Conclusion

The Panch Gaurav Yojana Kabaddi camp held at Chougan Stadium is a valuable initiative to support grassroots sporting in Jaipur. The scheme provides training, support and facilities to players and helps develop a better sporting culture in the region.

---

## MCQs

1. In which scheme was the Kabaddi camp held at Chougan Stadium?

- (a) Khelo India Youth Scheme
- (b) Panch Gaurav - One District, One Sport
- (c) Fit India Campaign
- (d) Khelo India Youth Scheme

Answer : (b)

Explanation : The Kabaddi training camp at Jaipur's Chougan Stadium was held under the "Panch Gaurav - One District, One Sport" program. This scheme intends to promote the sport in each district and give a better opportunity for the development of sports talent.

2. What was the duration of the Kabaddi training camp at Chougan Stadium in 2026?

- (a) 10 March to 20 March 2026
- (b) 15 March to 25 March 2026
- (c) 22 March to 31 March 2026
- (d) 1 March to 31 March 2026

Answer: (c)

Explanation : The training camp was held from 22 March to 31 March 2026. For this duration, the players were given proper facilities in terms of accommodation, food and training services in order to enhance their sports performance.

3. How many players were involved in the Kabaddi training camp at Chougan Stadium?

- (a) 22 players
- (b) 44 players
- (c) 32 players
- (d) 54 players

Answer: (b)

Explanation : 44 players, 22 boys and 22 girls, were involved in the Kabaddi training camp. They provided separate coaching to both groups, indicating that the camp aimed to support equal development in the sport.

---

## युवा विकास और खेल

जयपुर के चौगान स्टेडियम में "पंच गौरव - एक जिला, एक खेल" योजना के तहत कबड्डी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में आयोजित हुआ। शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ट्रैक सूट और खेल जूते प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में यह भी रेखांकित किया गया कि चौगान स्टेडियम ने कबड्डी के ऐसे खिलाड़ी तैयार किए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। यह

शिविर स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने और युवा खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

## कबड्डी प्रशिक्षण शिविर की प्रमुख विशेषताएँ

- कबड्डी प्रशिक्षण शिविर जयपुर के चौगान स्टेडियम में आयोजित किया गया।
- यह शिविर “पंच गौरव - एक जिला, एक खेल” योजना के अंतर्गत आयोजित हुआ।
- इसका आयोजन जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देशन में किया गया।
- प्रशिक्षण शिविर 22 मार्च से 31 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया।
- प्रतिभागियों के लिए आवास, भोजन और प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की गई।
- शिविर में 22 बालक और 22 बालिका खिलाड़ियों का चयन किया गया।
- बालक वर्ग को कोच श्री फूलचंद गुर्जर ने प्रशिक्षण दिया।
- बालिका वर्ग को महिला कोच श्रीमती आशा चौधरी ने प्रशिक्षण दिया।
- उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप ट्रैक सूट और खेल जूते प्रदान किए गए।

## उद्देश्य और लाभ

### उद्देश्य

- जिला स्तरीय खेल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कबड्डी को प्रोत्साहित करना।
- स्थानीय खेल प्रतिभाओं को पहचानना और निखारना।
- खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- जिला स्तर पर खिलाड़ियों को बेहतर अवसर प्रदान करना।

### लाभ

- इस शिविर से खिलाड़ियों को कबड्डी कौशल विकसित करने में सहायता मिली।
- प्रशिक्षण अवधि के दौरान खिलाड़ियों को भोजन और आवास जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं।
- उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिए गए पुरस्कारों से उनका उत्साह और मनोबल बढ़ा।
- इस योजना ने बालक और बालिका दोनों वर्गों में खेल संस्कृति को मजबूत किया।
- इससे युवा खिलाड़ियों को खेल में उच्च उपलब्धियों के लिए प्रेरणा मिली।

## पंच गौरव योजना का महत्व

जयपुर के जिला खेल अधिकारी श्री मान सिंह निर्वाण ने बताया कि “पंच गौरव - एक जिला, एक खेल” राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में चयनित खेल को बढ़ावा देना, स्थानीय प्रतिभाओं को विकसित करना और खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध कराना है। चौगान स्टेडियम में कबड्डी शिविर का सफल आयोजन इस बात का उदाहरण है कि ऐसी

योजनाएँ युवा खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने और उनके बेहतर भविष्य के निर्माण में सहायक हो सकती हैं।

## निष्कर्ष

चौगान स्टेडियम में आयोजित पंच गौरव योजना का कबड्डी शिविर जयपुर में जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और सुविधाएँ देकर क्षेत्र में बेहतर खेल संस्कृति के विकास में सहायक सिद्ध हो रही है।

## बहुविकल्पीय प्रश्न

1. चौगान स्टेडियम में कबड्डी प्रशिक्षण शिविर किस योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया?

- (a) खेलो इंडिया युवा योजना
- (b) पंच गौरव - एक जिला, एक खेल
- (c) फिट इंडिया अभियान
- (d) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना

उत्तर: (b)

**व्याख्या:** चौगान स्टेडियम में आयोजित कबड्डी प्रशिक्षण शिविर "पंच गौरव - एक जिला, एक खेल" योजना के अंतर्गत आयोजित किया गया था। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले में एक चयनित खेल को बढ़ावा देना और स्थानीय खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए बेहतर मंच प्रदान करना है।

2. वर्ष 2026 में चौगान स्टेडियम का कबड्डी प्रशिक्षण शिविर किस अवधि तक आयोजित किया गया?

- (a) 10 मार्च से 20 मार्च 2026
- (b) 15 मार्च से 25 मार्च 2026
- (c) 22 मार्च से 31 मार्च 2026
- (d) 1 मार्च से 31 मार्च 2026

उत्तर: (c)

**व्याख्या:** कबड्डी प्रशिक्षण शिविर 22 मार्च से 31 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया था। इस अवधि के दौरान खिलाड़ियों को आवास, भोजन और व्यवस्थित प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे वे खेल में अपनी क्षमता और प्रदर्शन को बेहतर बना सकें।

3. चौगान स्टेडियम में आयोजित कबड्डी प्रशिक्षण शिविर में कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया?

- (a) 22 खिलाड़ी
- (b) 44 खिलाड़ी
- (c) 32 खिलाड़ी
- (d) 54 खिलाड़ी

उत्तर: (b)

**व्याख्या:** इस कबड्डी प्रशिक्षण शिविर में कुल 44 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें 22 बालक और 22 बालिका खिलाड़ी शामिल थे। दोनों वर्गों के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि शिविर का उद्देश्य संतुलित और समावेशी खेल विकास को बढ़ावा देना था।

## Local Products, Entrepreneurship and ODOP Policy



Chief Minister Bhajanlal Sharma is guiding Rajasthan towards improving local development through the One District One Product Policy-2024. The objective of the policy is to globalise the brand identity of each district's product. It is bringing new impetus to the employment and economic activity of the state by promoting local products, artisans and entrepreneurs. The policy is the culmination of the state's efforts to leverage its local advantages with global market opportunities while maintaining district-level diversity and increasing rural entrepreneurship.

### Salient features of Rajasthan One District One Product Policy

- The One District One Product Policy-2024 is highlighting the distinctive products of each district in Rajasthan.
- The aim is to take these products to an international market.
- It is empowering local artisans, producers and entrepreneurs.
- District-wise products have been identified for optimum use of resources and capabilities.
- The policy is also helping maintain uniqueness of districts.
- New jobs are being generated in rural regions.

- Entrepreneurs are receiving technical, financial and market support.
- Rajasthan products are getting a unique brand identity.

## Financial and Technical Support Under the Policy

### Financial Assistance

- Margin money subsidy for new micro and small-scale ODOP enterprises is available at 25% of the cost of the project, maximum up to ₹25 lakh.
- 75 percent reimbursement of the cost of national and international quality certificates and intellectual property rights with a maximum limit of 3 lakh.
- To join e-commerce platforms, 75 percent of the cost up to a maximum of ₹1 lakh per annum is reimbursed for two years.

### Technical and Marketing Support

- For technical upgradation, 50 percent up to ₹5 lakh is available as reimbursement for purchase of advanced technology or software.
- For the acquisition of advanced technology or software from relevant national institutions, assistance of 50 per cent up to ₹5 lakh is available.
- 60 percent assistance up to ₹75,000 is available for cataloguing and e-commerce websites.
- Branding, digital marketing, and broader market linkages for district-level products are also encouraged through the policy.

### Importance of the Policy

The policy supports the larger national goal of local development and local empowerment. It is encouraging the view that village-, tehsil- and district-level development can support the larger objective of a developed India by 2047. With financial assistance, technological upgradation, and market expansion, Rajasthan is helping district industries go national and global.

### Impact and Benefits

The successful implementation of the policy is encouraging entrepreneurship and strengthening local products across the state. The state has already disbursed financial assistance to a number of beneficiaries for enterprise creation, marketing support and upgradation of units. The maximum investment has been in margin money, while assistance has also been provided in marketing, e-commerce, quality certification and technical upgradation. The government is also supporting marketing of the ODOP products through exhibitions, training and e-commerce.

### Conclusion

Rajasthan's One District One Product Policy-2024 is a significant milestone in promoting local economies and showcasing district products on a bigger platform.

Through financial, technological, market and branding support, the policy is generating employment, promoting entrepreneurship and taking Rajasthan's local products from the local to the global.

---

## MCQs

1. What is the maximum margin money assistance under the One District One Product Policy-2024 of the Rajasthan state government for starting new micro and small ODOP enterprises?

- (a) 50 percent of project cost up to ₹5 lakh
- (b) 25 percent of project cost up to ₹25 lakh
- (c) 75 percent of project cost up to ₹3 lakh
- (d) 60 percent of project cost up to ₹75,000

Answer : (b)

Explanation : The One District One Product Policy-2024 provides margin money subsidy in the form of 25 percent of the project cost up to a maximum of ₹25 lakh for new micro and small ODOP enterprises. This will help in enterprise establishment and promote entrepreneurship in Rajasthan.

2. How much is reimbursed in the policy for national and international quality certificates and intellectual property rights?

- (a) 50 percent reimbursement up to ₹5,00,000
- (b) 75 percent reimbursement up to ₹1 lakh per year
- (c) 75 percent reimbursement of up to ₹3 lakh
- (d) 60 percent reimbursement up to ₹75,000

Answer : (c)

Explanation: The policy offers 75 percent reimbursement of up to ₹3 lakh of the expenditure incurred in gaining national and international quality establishment certification and intellectual property rights. These facilities assist entrepreneurs in enhancing their products' quality, competitiveness and acceptance in the market.

3. Which of the following support measures is provided for cataloguing services and development of e-commerce websites under the policy?

- (a) 25 percent assistance up to ₹25 lakh
- (b) 60 percent assistance up to ₹75,000

(c) 50 percent assistance up to ₹5 lakh

(d) 75 percent reimbursement up to ₹3 lakh

Answer: (b)

Explanation : For cataloguing services and e-commerce website development, 60 percent assistance up to ₹75,000 is provided. This is to support wider market access, branding and visibility of local produce in the market.

## स्थानीय उत्पाद, उद्यमिता और ओडीओपी नीति

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान स्थानीय विकास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। इस नीति का उद्देश्य प्रत्येक जिले के उत्पाद की विशिष्ट पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करना है। स्थानीय उत्पादों, कारीगरों और उद्यमियों को प्रोत्साहन देकर यह नीति राज्य में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को नई गति दे रही है। यह नीति स्थानीय विशेषताओं को वैश्विक बाजार से जोड़ते हुए जिला स्तरीय विविधता को बनाए रखने और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है।

### राजस्थान की एक जिला एक उत्पाद नीति की प्रमुख विशेषताएँ

- एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 राजस्थान के प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को बढ़ावा दे रही है।
- इसका उद्देश्य इन उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाना है।
- यह स्थानीय कारीगरों, उत्पादकों और उद्यमियों को सशक्त बना रही है।
- संसाधनों और कौशल के बेहतर उपयोग के लिए जिला-वार उत्पादों की पहचान की गई है।
- यह नीति जिलों की विशिष्ट पहचान को संरक्षित रखने में भी सहायक है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।
- उद्यमियों को तकनीकी, वित्तीय और विपणन सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
- राजस्थान के उत्पादों को एक विशिष्ट ब्रांड पहचान मिल रही है।

### नीति के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता

#### वित्तीय सहायता

- नए सूक्ष्म और लघु ओडीओपी उद्यमों के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम ₹25 लाख तक मार्जिन मनी सब्सिडी उपलब्ध है।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्रों तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों पर हुए व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹3 लाख तक पुनर्भरण किया जाता है।

- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए दो वर्षों तक प्रति वर्ष अधिकतम ₹1 लाख तक की लागत का 75 प्रतिशत पुनर्भरण उपलब्ध है।

## तकनीकी और विपणन सहायता

- तकनीकी उन्नयन के लिए उन्नत तकनीक या सॉफ्टवेयर की खरीद पर 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹5 लाख तक सहायता उपलब्ध है।
- मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संस्थानों से उन्नत तकनीक या सॉफ्टवेयर प्राप्त करने पर भी 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹5 लाख तक सहायता दी जाती है।
- कैटलॉगिंग और ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 60 प्रतिशत, अधिकतम ₹75,000 तक सहायता उपलब्ध है।
- इस नीति के माध्यम से जिला स्तरीय उत्पादों के लिए ब्रांडिंग, डिजिटल विपणन और व्यापक बाजार संपर्क को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

## नीति का महत्व

यह नीति स्थानीय विकास और स्थानीय सशक्तिकरण के व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य को समर्थन देती है। यह इस विचार को प्रोत्साहित करती है कि गाँव, तहसील और जिला स्तर का विकास विकसित भारत 2047 के बड़े लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वित्तीय सहायता, तकनीकी उन्नयन और बाजार विस्तार के माध्यम से राजस्थान जिला स्तरीय उद्योगों को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच तक पहुँचाने का कार्य कर रहा है।

## प्रभाव और लाभ

इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है और स्थानीय उत्पादों को मजबूती मिल रही है। राज्य सरकार अनेक लाभार्थियों को उद्यम स्थापना, विपणन सहायता और इकाइयों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर चुकी है। सर्वाधिक निवेश मार्जिन मनी सहायता में हुआ है, जबकि विपणन, ई-कॉमर्स, गुणवत्ता प्रमाणन और तकनीकी उन्नयन के क्षेत्रों में भी सहायता दी जा रही है। सरकार प्रदर्शनियों, प्रशिक्षण और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने जैसे उपायों के माध्यम से ओडीओपी उत्पादों के प्रचार-प्रसार में भी सहयोग दे रही है।

## निष्कर्ष

राजस्थान की एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और जिला स्तरीय उत्पादों को बड़े मंच पर प्रस्तुत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। वित्तीय, तकनीकी, विपणन और ब्रांडिंग समर्थन के माध्यम से यह नीति रोजगार सृजन, उद्यमिता संवर्धन और राजस्थान के स्थानीय उत्पादों को लोकल से ग्लोबल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

## बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 के अंतर्गत नए सूक्ष्म और लघु ओडीओपी उद्यम स्थापित करने के लिए अधिकतम कितनी मार्जिन मनी सहायता उपलब्ध है?
  - (a) परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹5 लाख
  - (b) परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम ₹25 लाख

- (c) परियोजना लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹3 लाख  
(d) परियोजना लागत का 60 प्रतिशत, अधिकतम ₹75,000

उत्तर: (b)

**व्याख्या:** एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 के तहत नए सूक्ष्म और लघु ओडीओपी उद्यमों के लिए परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम ₹25 लाख तक मार्जिन मनी सब्सिडी उपलब्ध है। यह प्रावधान नए उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने और राजस्थान में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है।

2. इस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्रों तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों पर कितनी पुनर्भरण सहायता उपलब्ध है?

- (a) 50 प्रतिशत पुनर्भरण, अधिकतम ₹5 लाख  
(b) 75 प्रतिशत पुनर्भरण, अधिकतम ₹1 लाख प्रतिवर्ष  
(c) 75 प्रतिशत पुनर्भरण, अधिकतम ₹3 लाख  
(d) 60 प्रतिशत पुनर्भरण, अधिकतम ₹75,000

उत्तर: (c)

**व्याख्या:** यह नीति राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्रों तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों पर किए गए व्यय के लिए 75 प्रतिशत तक पुनर्भरण सहायता प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹3 लाख है। इससे उद्यमियों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धात्मकता और बाजार में स्वीकार्यता बढ़ाने में सहायता मिलती है।

3. इस नीति के तहत कैटलॉगिंग सेवाओं और ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए कौन-सी सहायता उपलब्ध है?

- (a) 25 प्रतिशत सहायता, अधिकतम ₹25 लाख  
(b) 60 प्रतिशत सहायता, अधिकतम ₹75,000  
(c) 50 प्रतिशत सहायता, अधिकतम ₹5 लाख  
(d) 75 प्रतिशत पुनर्भरण, अधिकतम ₹3 लाख

उत्तर: (b)

**व्याख्या:** कैटलॉगिंग सेवाओं और ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 60 प्रतिशत सहायता, अधिकतम ₹75,000 तक उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रावधान का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुँचाना, उनकी ब्रांडिंग को मजबूत करना और डिजिटल मंचों पर उनकी दृश्यता बढ़ाना है।